अपील डिक्री/टीए/5208/2003/भीलवाडा
बंशीलाल व अन्य बनाम मु0 सायरी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्ड पीठ **श्री मुकेश शर्मा ,अध्यक्ष** **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** उपस्थितः— (1) श्री बैभव पारीक अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से (2) श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता रैस्पोडेंटस की ओर से **निर्णय** **दिनांक :13—6—2019** यह अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा दिनांक 19.09.2003 जिसके तहत अपील खारिज कर उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 15—3—2003 को यथावत रखा गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है । अपील के संक्षिप्त तथ्यों अनुसार प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ के समक्ष एक वाद संख्या 16/2001 व उनवानी घीसी बनाम बंशी प्रस्तुत हुआ था, जिसमें दोनो पक्षों को सुन कर दिनांक 15—3—2003 को दावा विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया गया , जिसकी अपील संख्या 157/03 व उनवानी बंशीलाल बनाम मु.घीसी व अन्य न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी , जिसमें दोनो पक्षों को सुन कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 19—9—2003 द्वारा अपील को खारिज करते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15—3—2003 को यथावत रखा गया ,जिसके विरुद्ध यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। इस अपील के विचाराधीन रहते दिनांक 16—5—19 को अपीलांटस व रेस्पोडेंटस के अधिवक्तागण द्वारा राजीनामा प्रार्थनापत्र पेश किया गया ,जिसे तस्दीक करने हेतु निबन्धक न्यायालय राजस्व मण्डल को भेजा गया । उक्त राजीरामा निबन्धक,राजस्व मण्डल	सा

अपील डिक्री/टीए/5208/2003/भीलवाडा
बंशीलाल व अन्य बनाम मु0 सायरी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा दिनांक 22—5—99 को तस्दीक कर दिया गया गया। अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से राजीनाम प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि उक्त अपील में प्रार्थीगण अपीलांटस एवं अप्रार्थीगण रेस्पेडेटस के मध्य राजीनामा हो गया है तथा अप्रार्थीगण रेस्पोडेंटस राजीनामे के अनुसार प्रार्र्थीगण/अपीलांटस की अपील को स्वीकार करली जावे एवं न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 19—9—2003 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15—3—2003 को निरस्त करने में अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस को कोई आपत्ति नही है। यह राजीनामा दोनो पक्षो की आपसी रजामन्दी से किया गया है। इससे दोनो पक्ष सहमत है । इसलिए राजीनामे के अनुसार उक्त अपील का निर्णय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया साथ ही उभयपक्ष के अभिभाषकगण की ओर से प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थनापत्र का अध्ययन किया। न्यायहित में उक्त राजीनामा प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 19—9—2003 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15—3—2003 को निरस्त किये जाते है। तदानुसार पक्षकारान के मध्य डिक्री की पारित की जावे। मूल राजीनामा प्रार्थनापत्र डिक्री का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **(मुकेश शर्मा)** **सदस्य** **अध्यक्ष**	

<u>अपील डिक्री/टीए/5208/2003/भीलवाडा</u>
बंशीलाल व अन्य बनाम मु0 सायरी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए